

२६-६-१८ पत्रावली न्याय आयोग द्वारा-२०१८ में अल्लु सेवा
 केन्द्र शारुलपुरा पेशा हुई। पत्रकारान को मजमे
 आम में सुना गया, वकील अहमदी को भी
 सुना गया। लोक अदालत की भावना से
 दि० ५-५-१६ को जारी आदेश में आंशिक संशोधन
 करके दिये मूल वादके निस्तारण तक उभय
 पक्ष को दि० ५-५-१६ को जारी आदेश से पाबन्द
 किया गया। इस बाबत सम्बन्धित को
 धनबाद स्टरीट जारी हो। पत्रावली फैसला
 शुमार होकर दर्ज नम्बर से जाह हो। आदेश
 मजमे आम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
 साँभर लोक